

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत आति: जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

ओमा देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा नम्बर वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9-11-2022	<p>वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्त ने बताया कि अपीलान्त के दादा हणमान एवं पिता कजोड़ का देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 320 भरा गया था। जो विरासत का नामान्तरकरण 06.06.1992 को कैम्प में स्वीकार किया गया था। मृतक हणमान एवं कजोड़ के वारिसान के बाबत रिपोर्ट नहीं ली गई अपूर्ण सजरे के आधार पर ही आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलान्त कजोड़ कि पुत्री व हणमान कि पौत्री/पोती है। विवादित आदेश कि अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी। अतः तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 06.06.1992 बाबत नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम ठिकरिया संशोधित फर्माया जाकर अपीलान्त का नाम दर्ज किया जावे।</p> <p>वकील रेस्पो. संख्या 2 ता 4 कि ओर से उपस्थित। अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई एवं रेस्पो. नं. 2 ता 4 द्वारा भूमि पर लिये गये लोन की राशि भी जमा कराने हेतु अपनी सहमति जताई।</p> <p>वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्त का मुख्य कथन है कि अपीलान्त जो कजोड़ की पुत्री है एवं हणमान की पौत्री/पोती है जिनको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही विरासत के हक अधिकार प्राप्त है। नामान्तरकरण संख्या 320 तन ग्राम ठिकरिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ओमा देवी(अपीलान्त) का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं है जो से दर्ज होना चाहिए था। अपीलान्त का नाम हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने व लोन कि राशि भी जमा कराने हेतु वकील रेस्पो. द्वारा अपनी सहमति जताई।</p> <p>अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p>रेस्पो. नं. 2 ता 4 द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को स्वीकार करने पर अपील अपीलान्त न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 06.06.1992 बाबत नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम ठिकरिया अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को अपील इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मृतक कजोड़ व हणमान के विधिक वारिसान कि जांच कर सुनवाई करे एवं वारिसान के साथ उक्त भूमि पर जिस बैंस से लोन ले रखा है उस बैंक को भी साथ में सुना जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण पुनः भरकर फ़ैसल करे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर के साथ निर्णय कि प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया।</p>	



(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट